संख्या– /नौ–1–सिं0(06 बजट/03)/04

प्रेषक,

बी0 आर0 टम्टा,
उप सचिव,
उत्तरॉचल शासन ।

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता,
लघु सिंचाई मण्डल,
पौंडी।

सिंचाई विभाग

देहरादून, दिनांक, 29 मार्च, 2004

विषयः– लघु सिंचाई के लिए मशीनरी तथा उपस्कर में पुनर्विनियोग।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2003–04 के लेखानुदान में लेखाशीर्षक 052–मशीनरी तथा उपस्कर में रू0 1.40 लाख का प्राविधान होने के कारण यह धनराशि आवंटित कर दी गयी थी, किन्तु वार्षिक बजट में इस मद में केवल रू0 0.02 लाख का ही प्राविधान हुआ है, और उक्त प्राविधान होने तक लेखानुदान की धनराशि व्यय कर दी गयी थी, जिसे विनियमित करने हेतु संलग्न बी0एम0 प्रपत्र–15 पर अंकित विवरणानुसार अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों से व्यावर्तन द्वारा रू0 1.38 लाख (रूपये एक लाख अड़तीस लाख मात्र) की धनराशि के पुनर्विनियोग के द्वारा व्यय की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2 इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2003–04 के आय–व्ययक के अनुदान सं0 20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2702–लघु सिंचाई–80–सामान्य आयोजनागत –025–मशीन तथा उपस्कर–03–नवीन सम्पूर्ति एवं –04–मरम्मत में संलग्न–बी0एम0–15 के कालम 5 में उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकयों के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र सं0 3485/वि0अनु0–3/2004 दिनांक 28 मार्च, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्न–यथोक्त।

भवदीय,

(बी0 आर0 टम्टा)
उप सचिव।

संख्या–1253/नौ–1–सिं0(06 बजट/03)/04 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई विभाग, उत्तरांचल।
2– महालेखाकार, उत्तरांचल।
3– समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
4– वित्त विभाग (वित्त अनुभाग–3), उत्तरांचल शासन।
5– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र देहरादून।
6– गार्ड फाईल।

संलग्न–यथोक्त।

(बी0 आर0 टम्टा)
उप सचिव।

प्रपत्र–बी0एम–15

नियन्त्रण अधिकारी मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तरांचल।
प्रशासनिक विभाग: सिंचाई विभाग उत्तरांचल शासन।
वित्तीय वर्ष 2003–04 अनुदान संख्या–20

(धनराशि हजार रूपये में)

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष सरप्लस धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है।	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद अवशेष धनराशि (स्तम्भ–1 में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
2702–लघु सिंचाई 80 सामान्य आयोजनागत 800–अन्य व्यय 03–अनुदान(जिला योजना) 24–वृहद निर्माण कार्य रू0 10000	–	–	10000	2702 लघु सिंचाई 80–सामान्य आयोजनागत 052–मशीनरी तथा उपस्कर 03–नवीन सम्पत्ति 26–मशीने और सज्जा/ उपकरण और संयन्त्र रू0 131 04–मरम्मत 26–मशीने और सज्जा/ उपकरण और संयन्त्र रू 007	132 008	9862	वर्ष 2003–04 के लेखानुदान में मशीनरी तथा उपस्कर के लिए रू0 1.40 लाख का प्राविधान रखा गया था। यह धनराशि अवमुक्त कर व्यय की जा चुकी है, किन्तु वार्षिक बजट में केवल रू0 0.02 लाख का ही प्राविधान होने के कारण लेखानुदान में रू0 1.38 लाख की स्वीकृति बजट प्राविधान से अधिक जारी हो गयी है। जिसे नियमित करने हेतु पुनर्विनियोग की आवश्यकता है।
रू0 10000	–	–	10000	138	140	9862	

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर 150–156 में उल्लिखित प्राविधानों एवं योजनाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–3,
सं0–3485 (क)/वि0अनु–3/04
देहरादून: दिनांक 29 मार्च 04

बी0 आर0 टम्टा
उप सचिव।

महालेखाकार उत्तरांचल,
ओबराय मोटर्स बिल्डिंग सहारनपुर रोड,
माजरा देहरादून।
सं0 /वि0अनु–3/04तद्दिनांक।
प्रतिलिपि वरिष्ठ कोषाधिकारी देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

पुनर्विनियोग स्वीकृत।

राधा रतूड़ी
सचिव।

आज्ञा से,

(बी0 आर0 टम्टा)
उप सचिव।